

434/25

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

क्रमांक:-

दिनांक:-

कैम्प कोर्ट

20.25/458

सं. २१५ बनाम व. व. ५१५

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 17.10.25

पटवारी हल्का कैपरी, भू. अभिलेख निरीक्षक कै. ए. ए. की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम देवना के खाता संख्या 202, 203 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	विवरण जो शुद्ध किया जाना है।	शुद्ध उपरान्त विवरण
01.	<u>देवना</u>	<u>202, 203</u>	<u>विलय राम</u>	<u>सं. २१५</u>
02.				
03.				
04.				

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

